

संशोधित सुनिश्चित भविष्य उन्नयन योजना (MACPS)

प्र0 1	<p>MACPS के अन्तर्गत किसी पद का वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के बाद उस पद पर नियमित पदोन्नति पर वेतन निर्धारण होगा?</p> <p>(1) पे बैंड में पे का 30% (2) पे बैंड में पे+ग्रेड पे पर (3) सिर्फ ग्रेड पे का अन्तर (4) इनमें से कोई भी नहीं।</p> <p>Will there be fixation of pay at the time of regular promotion if benefit of financial up gradation is given already under the MACPS ?</p> <p>(1) 30% of Pay in Pay Band (2) On Pay in Pay Band and Grade Pay (3) Only difference in grade pay (4) None of the above</p>
उत्तर	(3) Only difference in grade pay/ सिर्फ ग्रेड पे का अन्तर Authority: RBE No. 101/09
प्र0 2	<p>रेलवे स्कूल में कार्यरत अध्यापकों को सम्पूर्ण सेवाकाल में MACPS के अन्तर्गत कुल कितने वित्तीय लाभ प्रदान किए जाते हैं?</p> <p>(1) एक (2) दो (3) तीन (4) एक भी नहीं (1) One (2) Two (3) Three (4) None</p> <p>How many financial up gradations are given to the teachers of Railway school under the MACPS?</p>
उत्तर	(4) None/ एक भी नहीं Authority: NWR PS 10A/10
प्र0 3	<p>MACPS के अन्तर्गत स्क्रीनिंग समिति के सदस्यों को कौनसा न्यूनतम वेतनमान (ग्रेड पे सहित) का अधिकारी होना चाहिए?</p> <p>(1) कनिष्ठ वेतनमान ग्रेड पे 5400/- (2) वरिष्ठ वेतनमान ग्रेड पे 6600/- (3) कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान ग्रेड पे 9000/- (4) इनमें से कोई नहीं</p> <p>What is the minimum grade & grade pay for Sr.scale office GP 6600/- the members of Screening Committee under the MACPS ?</p>
उत्तर	(2) वरिष्ठ वेतनमान ग्रेड पे 6600/- प्राधिकार : आरबीई नं. 101/09 पैरा-4
प्र0 4	<p>MACPS के अन्तर्गत जनवरी के पहले सप्ताह में होने वाली कमेटी की बैठक में किन महिनों में पात्र होने वाले कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया जाता है?</p> <p>(1) जनवरी से जून (2) मार्च से अगस्त (3) अप्रैल से सितम्बर (4) जुलाई से दिसम्बर</p>
उत्तर	(3) अप्रैल से सितम्बर प्राधिकार : आरबीई नं. 101/09 पैरा-6
प्र0 5	<p>MACPS के अन्तर्गत जुलाई के पहले सप्ताह में होने वाली कमेटी की बैठक में किन महिनों में वित्तीय लाभ हेतु पात्र होने वाले कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया जाता है?</p> <p>(1) जनवरी से जून (2) जुलाई से दिसम्बर (3) अप्रैल से सितम्बर (4) अक्टूबर से मार्च</p>
उत्तर	(4) अक्टूबर से मार्च प्राधिकार : आरबीई नं. 101/09 पैरा-6
प्र0 6	<p>निश्चित समायावधि में पदोन्नति योजना से जिसमें इन सी टू योजना भी शामिल है, शासित रेल कर्मचारी को MACPS के अन्तर्गत -</p> <p>(A) बिना किसी औपचारिकताओं के लाभ देय है। (B) किसी भी प्रकार का लाभ देय नहीं है। (C) दोनों योजनाओं में से MACPS चुनने पर लाभ देय है। (D) दोनों योजनाओं में से जहां लाभ है, देय होंगे।</p>
उत्तर	(C) दोनों योजनाओं में से MACPS चुनने पर लाभ देय है। प्राधिकार : आरबीई 101/09 Para-13

<p>प्र0 7</p>	<p>अधिशेष कर्मचारी को एक संगठन से दूसरे संगठन में नियुक्त किए जाने पर उसकी पूर्व सेवा को MACPS के उद्देश्य से कब निरन्तर सेवा मानी जायेगी ? (A) सिर्फ समान वेतनमान पर नियुक्त होने पर ही। (B) सिर्फ निम्न वेतनमान पर नियुक्त होने पर ही। (C) समान वेतनमान या निम्न वेतनमान में नियुक्त होने पर। (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं।</p> <p>In case a surplus employee is appointed from one organization to another. When will the regular service rendered by him in the previous organization be counted as regular service? (A) On appointment on same pay scale only. (B) On appointment on lower pay scale only. (C) On appointment on same pay scale or lower pay scale. (D) None of the above</p>
<p>उत्तर</p>	<p>(C) समान वेतनमान या निम्न वेतनमान में नियुक्त होने पर/ On appointment on same pay scale or lower pay scale. प्राधिकार : आरबीई नं. 101/09 Para-23</p>
<p>प्र0 8</p>	<p>किसी रेल सेवक की 08वर्ष की सेवा पूरा करने पर पदोन्नति हो गई, निचले पद या निचले वेतनमान में स्थानान्तरण में चले जाने पर उसे MACPS के अन्तर्गत प्रथम वित्तीय लाभ कब देय होगा ? (1) नये पद पर कार्य ग्रहण से 10वर्ष बाद (2) कुल 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर (3) निचले ग्रेड पे में कुल 10वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर (4) उपर्युक्त में से कोई भी नहीं</p> <p>In case an employee after getting promotion on completion of 8 years service seeks transfer and goes on a lower post or lower scale then when will he be entitled for 1st financial upgradation under MACPS? (1) On completion of 10 yrs after resuming duties on new post. (2) On completion of total 20 years of service. (3) On completion of 10 years of service in lower grade pay. (4) None of the above.</p>
<p>उत्तर</p>	<p>(2) कुल 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर/ On completion of total 20 years of service. Authority : RBE No. 101/09 Para -24</p>
<p>प्र0 9</p>	<p>MACPS के अन्तर्गत वित्तीय लाभ प्राप्त रेल कर्मचारी अपनी नियमित पदोन्नति को इन्कार करने पर अगला वित्तीय लाभ - (1) कभी भी प्रदान नहीं किया जायेगा। (2) इन्कार करने पर विवर्जित करने की अवधि एक साल के रूप में कम करके उसके बाद विचार किया जायेगा। (3) इन्कार करने पर विवर्जन की अवधि के बाद विचार किया जायेगा। (4) उपर्युक्त में से कोई भी नहीं।</p> <p>When an employee has got the benefit of financial up gradation under MACPS but refuses regular promotion then his next financial up gradation will be – (1) Will never be given. (2) The extant of period of debarment due to refusal shall be reduced to one year and then will be considered. (3) Deferred to the extant of period of debarment due to refusal. (4) None of the above.</p>
<p>उत्तर</p>	<p>(3) इन्कार करने पर विवर्जन की अवधि के बाद विचार किया जायेगा / Deferred to the extant of period of debarment due to refusal. Authority : RBE No. 101/09 Para -25</p>

<p>प्र0 10</p>	<p>यदि कोई रेल कर्मचारी दिनांक 01.09.2008 से पूर्व 07वर्ष में ही ग्रेड पे रू. 1900, रू. 2400 व रू. 2800 में पदोन्नति पा चुके हैं तथा ग्रेड पे रू. 2800/- में पिछले 12वर्ष से लगातार सेवारत हैं, तो उसको अगला वित्तीय लाभ कब देय होगा ? (1) ग्रेड 2800 में 10 वर्ष पूर्ण करने पर (2) कुल तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर (3) कुल 20वर्ष की सेवा के बाद (4) इनमें से कोई नहीं</p> <p>In case a Railway employee has got promotion in GP 1900, 2400, and 2800 within 7 years Prior to 01.09.08, and he is working in GP 2800/- for the last 12 years when will he be due the next financial up gradation? (1) On completion of 10 years in GP 2800. (2) On completion of 30 years of service. (3) On completion of 20 years of service. (4) None of the above.</p>
<p>उत्तर</p>	<p>(4) इनमें से कोई नहीं/ None of the above. Authority: RBE no. 101/09</p>
<p>प्र0 11</p>	<p>एक लिपिक को 08वर्ष की नियमित रेल सेवा में ही दो पदोन्नति मिल चुकी है तो उन्हें MACPS के अन्तर्गत कब अगला वित्तीय लाभ देय होगा ? (1) 20वर्ष की सेवा पर (2) 30वर्ष की सेवा पर (3) ग्रेड पे में लगातार 10वर्ष की सेवा के बाद (4) इनमें से कोई नहीं</p> <p>If a clerk in his 8 years of regular service has already got two promotions when will he be due for his next financial upgradation under MACPS? (1) After 20 years of service (2) After 30 years of service (3) After 10 years of continuous service in a Grade Pay. (4) None of the above</p>
<p>उत्तर</p>	<p>(3) ग्रेड पे में लगातार 10वर्ष की सेवा के बाद/After 10 years of continuous service in a Grade Pay. Authority: RBE No. 101/09</p>
<p>प्र0 12</p>	<p>MACPS हेतु एवजी (सब्टीट्यूट) को सेवा अवधि का लाभ कितना देय होगा अगर उसका नियमन बिना व्यवधान हुआ हो ? (1) नियुक्ति की तिथि से नियमित नियुक्ति की अवधि तक। (2) अस्थाई औहदा प्राप्ति की तिथि से नव नियुक्ति की तिथि तक (3) नियुक्ति की तिथि से नियमित नियुक्ति की अवधि का 50% (4) उपर्युक्त में से कोई भी नहीं</p> <p>Will substitutes be given the benefit of service for MACPS if he is regularized with out break? (1) From the date of appointment to regular appointment. (2) From the date of obtaining temporary status to new appointment. (3) From the date of appointment to regular appointment (4) None of the above.</p>
<p>उत्तर</p>	<p>(2) अस्थाई औहदा प्राप्ति की तिथि से नव नियुक्ति की तिथि तक/ From the date of appointment to regular appointment. Authority: RBE No. 36/2010</p>
<p>प्र0 13</p>	<p>MACPS के अन्तर्गत किसी रेल कर्मचारी का एक पद पर लगातार 10वर्ष की सेवा अनिवार्य है न कि एक ही ग्रेड पे में। Under the MACPS a Railway employee is required to have 10 years continuous service in a post and not in a grade pay. [√False/ True]</p>
<p>उत्तर</p>	<p>False Authority: RBE No. 101/09</p>

प्र0 14	MACPS के अन्तर्गत वित्तीय लाभ प्रदान करने हेतु कलेण्डर वर्ष को गणना में लिया जाता है? Under the MACPS the calendar year is taken into account for grant of financial up gradation. [√False/ True]
उत्तर	False Authority: RBE No. 101/09
प्र0 15	नियमित नियुक्ति से पूर्व की प्रशिक्षण अवधि MACPS के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने हेतु नियमित सेवा मानी जायेगी (Authority RBE 101/09 Para-9) Pre-appointment period shall be treated as regular service for grant of benefits under the MACPS. [√False/ True]
उत्तर	False Authority: RBE No. 101/09
प्र0 16	रेल विभाग में नियमित नियुक्ति से पूर्व किसी दूसरे विभाग में किसी पद पर उसी ग्रेड पे में बिना किसी व्यवधान के की गई निरन्तर सेवा को, नये पद पर परिवीक्षा अवधि को संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर MACPS के तहत नियमित सेवा माना जायेगा। Past continuous regular service without a break rendered in a post carrying the same Grade Pay in another Deptt, prior to regular appointment to Railway shall be treated as regular service under MACPS after satisfactory completion of the probation period in the new post. [√True/ False]
उत्तर	True Authority: RBE No. 101/09 Para – 9
प्र0 17	MACPS निर्माण कार्य प्रभारित कर्मचारियों पर भी लागू है। MACPS shall also be applicable to work charged employees. [√True/ False]
उत्तर	True Authority: RBE No. 101/09 Para – 12
प्र0 18	MACPS के अन्तर्गत वित्तीय लाभ से लाभान्वित रेल कर्मचारी नये ग्रेड पे, वेतन बैंड में वेतन आदि के अनुसार सरकारी आवास हेतु पात्र होगा ? A railway employee benefited by financial upgradation under the MACPS is entitled for Government accommodation/quarters as per new GP and Pay in Pay Band. [√True/ False]
उत्तर	True Authority: RBE No. 101/09 Para – 9
प्र0 19	MACPS के अन्तर्गत पीबी-3 में ग्रेड पे रु. 6600/- तक के वित्तीय लाभ हेतु बेन्च मार्किंग अच्छा (Good) होना चाहिए। For financial upgradation under MACPS upto GP of Rs. 6,600/- in PB -3.the benchmark of 'good' will be applicable. [√True/ False]
उत्तर	True Authority: RBE No. 101/09 Para – 17
प्र0 20	MACPS के अन्तर्गत ग्रेड पे रु. 7600/- व ऊपर के लिए बेन्च मार्किंग बहुत अच्छा (Very good) होनी चाहिए। Under the MACPS, the benchmark will be 'Very Good' for the financial upgradation for GP of Rs. 7600/- & above. [√True/ False]
उत्तर	True Authority: RBE No. 101/09 Para – 17

प्र0 21	MACPS के अन्तर्गत लाभ वरीयता सूची में से वरीयता क्रमानुसार देय होगा। The benefits under the MACPS are given to the employees, as the order of seniority in seniority list. [√False/ True]
उत्तर	False Authority: RBE No. 101/09 Para – 20
प्र0 22	रेल कर्मचारी को MACPS के अन्तर्गत वित्तीय लाभ प्रदान करने के पश्चात नियमित पदोन्नति को इन्कार करने पर, वित्तीय लाभ को इन्कार करने की तिथि से वापिस लिया जायेगा। If a Railway employee has been allowed financial upgradation under MACPS and thereafter refuse regular promotion then prior financial upgradation shall be withdrawn from the date of refusal [√False/ True]
उत्तर	False Authority: RBE No. 101/09 Para – 25
प्र0 23	MACPS के अन्तर्गत ग्रेड पे 1800/- प्राप्त रेल सेवक से केन्द्र सरकार समूह बीमा योजना के अन्तर्गत अंशदान प्रतिमाह रु. 30/- वसूला जायेगा। Under Central Government Group Insurance Scheme a monthly contribution of Rs. 30/- is charged from Railway employees who is given the Grade Pay of Rs. 1800/- under the MACPS. [√False/ True]
उत्तर	False. Authority: RBE No. 101/09

==_==